न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 13 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. कमलादेवी पत्नी सुमेरमल उम्र 75 वर्ष जाति ओसवाल (जैन) निवासी हनुमानजी की प्रोल के पास बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर 2. सायरा पत्नी हाजी अकबर उम्र 75 वर्ष जाति मुसलमान निवासी छिपों का वास बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर	बनाम 1.पुष्पादेवी पत्नी ओमप्रकाश उम्र 60 वर्ष जाति माली 2.हुलासीदेवी पत्नी राजेन्द्र उम्र 57 वर्ष जाति माली निवासीयान ओमजी कटर फेक्ट्री पचपदरा रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 16 / 2019 बअनवान पुष्पादेवी बनाम कमलादेवी वगै. निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रूघाराम कड़वासरा रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः—30.12.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जेरला के खसरा संख्या 637 / 95 रकबा 3.15 बीघा की भूमि के संबंध में पूर्व में हुए नेखमबंदी आदेश दिनांक 23.09.2008 की पालना में की गई नेखमबंदी दिनांक 30.04.2011 के अनुसार स्थापित किये गये नेखम को सही मानते हुए उस भू भाग पर अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर उक्त भाग का कब्जा वादीगण को दिलाया जाने का आदेश पारित किया तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित कर पाबंदित किया कि प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 637 / 95 रकबा 03.15 बीघा के उपयोग उपभोग काश्त कार्य में उसके एजेन्ट, मित्र, चहेते मजजूरों द्वारा दखलअंदाजी करे सेढे को तोड़फोड़ कर नुकसान नहीं पहुंचाये एवं वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा व निर्माण कार्य आदि नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भी दर्ज नहीं की एवं न ही कोई गवाह परीक्षित करवाये इस प्रकार उक्त वाद में बिना तनकियात व बिना साक्ष्य वादी परिक्षित करवाए एकपक्षीय आलोच्य अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय एवं विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटगण की सम्मयक तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी भी दर्ज नहीं की एवं न ही कोई गवाह परीक्षित करवाये इस प्रकार उक्त वाद में बिना तनकियात व बिना साक्ष्य वादी परिक्षित करवाए एकपक्षीय आलोच्य अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय एवं विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस एवं अपील में इंगित आपत्तियों का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संदर्भ में किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटगण को कोई नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। अपीलांटगण की गैर हाजरी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एकतरफा पारित किया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील, वाद अंतर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु, संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2019 बउनवान पुष्पादेवी बनाम कमलादेवी वगै. निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2020 को अपास्त/खारिज किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर वाद समुचित विवेचन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

30/12/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/2020

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर